क्रम संख्या–74

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 04 जुलाई, 2024 ई0

आषाढ़ 13, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता अनुभाग–1

संख्या 222247 / XIV-1 / 2024–07(04) / 2016

देहरादून, 04 जुलाई, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात्–

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 28 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 28 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
28– जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/ सक्षम प्राधिकारी उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 415 (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन आरक्षित स्थानों के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम में उस सीमा तक किया जाये, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो:– परन्तु यह कि इस प्रकार आरक्षित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से हिन्दी वर्णमाला के क्रम में आंवटित किया जायेगा:– 1. एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये, 2. दो महिलाओं के लिये, परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में आरक्षण एक निर्वाचन क्षेत्र के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।	28– जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/ सक्षम प्राधिकारी उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 415 (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन आरक्षित स्थानों के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम में उस सीमा तक किया जाये, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो:– परन्तु यह कि इस प्रकार आरक्षित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से हिन्दी वर्णमाला के क्रम में आंवटित किया जायेगा:– 1. एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये, 2. प्रबंध कमेटी में कुल स्थान का 33% महिलाओं के लिये, परन्तु यह और कि प्रारम्भिक सहकारी समितियों में जिला स्तर पर समितियों के वर्गों के अन्तर्गत सभापति के 33% पद महिलाओं के लिये, समिति के नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चकानुक्रम में उस सीमा तक आरक्षित किये जायेंगे, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो; केन्द्रीय सहकारी समितियों एवं शीर्ष सहकारी समितियों की दशा में राज्य स्तर पर सभापति के 33% पद महिलाओं के लिये, समिति के नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चकानुकम में उस सीमा तक आरक्षित किये जायेंगे, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो; परन्तु यह और भी कि जहां एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में आरक्षण एक निर्वाचन क्षेत्र के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा;

			परन्तु यह और भी कि किसी सहकारी समिति में एक परिवार का एक ही सदस्य उस समिति की प्रबन्ध समिति में किसी पद के लिये निर्वाचन या आमेलन या नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।
नियम 47 का संशोधन	3.		मूल नियमावली में नियम 47 के उपनियम (1) के खण्ड (ध) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात :— (न) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो। (प) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत अथवा अन्य किसी स्थानीय निकाय, संसद सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो जाय। (फ) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की किसी प्रबन्ध कमेटी में सदस्य के रूप में निर्वाचित या आमेलित या नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगातार कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो। स्पष्टीकरण— यदि कोई व्यक्ति इस नियमावली के प्रारम्भ के समय किसी समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्य के रूप में पद धारण किये हो और ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस पद पर पुनः निर्वाचित या आमेलित या नाम—निर्दिष्ट किया जाये तो इस नियम के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि वह ऐसे निर्वाचन या आमेलन या नाम—निर्दिशन के पूर्व एक कार्यकाल के लिये पद पर था। परन्तु यह कि किसी व्यक्ति द्वारा सहकारी नियमावली के नियम 426 या नियम 460 या नियम 461 या अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन संगठित प्रबंध कमेटी के सदस्य के रूप में धारित पदावधि की गणना इस नियम के अधीन अवधि की संगणना करने के लिये नहीं की जायेगी। परन्तु यह और कि कोई सदस्य, जो लगातार कम से कम पांच सहकारी वर्ष तक पद पर न रहा हो, (अर्थात वह किसी सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी का सदस्य न रहा हो) उस समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचन या आमेलन या नाम निर्दिशन के लिए पुनः पात्र हो जायेगा।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव।